न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलसंख्या 83/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/445)

1. करतार सिंह पुत्र स्व. श्री बालूराम
2. सुखराम पुत्र स्व. श्री बालूराम
3. कब्बू पुत्र स्व. श्री बालूराम
4. श्रीमती गुल्ली देवी पुत्री हरबक्ष धर्मपत्नी नाथू
5. पृथ्वीराज पुत्र स्व. श्री कल्याण
6. श्योदान पुत्र स्व. श्री कल्याण

जातिगुर्जर निवासी ग्राम झालरा का बास दौसा, तहसील व जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती रेणु धर्मपत्नी श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता, जाति महाजन, निवासी कलाली मन्दिर के सामने, गांधी तिराहा, लालसोट रोड़, दौसा, तहसील व जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा, तहसील व जिला दौसा।

–प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 07.07.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी श्रीमती रेणु बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 71/2022 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री हेमन्त सोगानी, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री सी.एल.मीना, वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से उपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–29.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 07.07.2023के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 801 पुराना 774 के आराजी खसरा नम्बर 2643 रकबा 0.15 है0 एवं 4229/2644 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि वाके ग्राम दौसा कलां, तहसील दौसा, जिला दौसा में स्थित है। जिसकी प्रार्थीया एक मात्र काबिज काश्त खातेदार है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये कि उक्त आराजी पर यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो, तो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 2643 रकबा 0.15 है0 एवं 4229/2644 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम दौसा कलां, तहसील दौसा के अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीया से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीया की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीया के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे एवं पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.07.2023 को पारित किये गये हैं ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 07.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री करतार सिंह पुत्र स्व. श्री बालूराम वगै0 द्वारा यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 07.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम दौसा कलां, तहसील दौसा, जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 2643 रकबा 0.15 हैक्टे0, 2644 रकबा 1.13 हैक्टे0 व 2647 रकबा 0.06 हैक्टे0 कुल किता 3 रकबा 1.34 हैक्टे0, जिसके एकीकरण में साबिका खसरा नम्बर 987 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा थे, उसके पूर्व के बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 2384 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, 2385 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा तथा 2382 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा से बने हैं, के संबंध में अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता बालूराम सहित अपीलार्थीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा दिनांक 23.06.2006 को मूलचन्द पुत्र माधोलाल, कल्याण पुत्र हरबक्ष देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री इन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सरकार तथा उप पंजीयक दौसा को भी प्रतिवादी बनाते हुये प्रस्तुत किया। दावे के विचाराधीन रहने के दौरान ही उक्त सहकृषकों ने तहसीलदार दौसा के समक्ष बालाबाला आवेदन प्रस्तुत कर आपसी सहमति के आधार पर उक्त कृषि जोत का विभाजन किये जाने के आदेश दिनांक 29.08.2022 को पारित करा लिये और उसके आधार पर नामांतकरण तस्दीक किया जाकर उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 2643, 2644 व 2647 में से विभाजन के आधार पर तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 2145 दिनाक 29.08.2022 के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 4231/2644 रकबा 0.43 हैक्टे० श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता के नाम तथा भूमि खसरा नम्बर 2643 रकबा 0.15 हैक्टे0 व 4229/2644 रकबा 0.28 हैक्टे0 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती रेणु धर्मपत्नी श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता के नाम राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित कर दी गई। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2643 रकबा 0.15 है0 एवं 4229/2644 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि का खातेदार कृषक प्रकट करते हुये रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 के तहत एक आवेदन मात्र तहसीलदार दौसा के समक्ष दिनांक 18.10.2022 को प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार महोदय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का दौसा कलां तथा उपस्थित मोतबीरान के समक्ष दिनांक 14.11.2022 को सीमाज्ञान करा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2022 के आधार पर पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी कराना चाहता है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा ने किसी भी प्रकार की कोई जांच किये बिना तथा प्रार्थीगण को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2023 को पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 07.07.2023 में बिना प्रभावित काबिज व्यक्ति व सहकाश्तकार को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 07.07.2023 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में सहकाश्तकार अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट्स द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन दावों के आलोक में समरी जांच पश्चात पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा दिनांक 07.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन दावों के आलोक में समरी जांच पश्चात पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर